राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–8)

क्रमांकः एफ 2(1)ग्रावि/अनु–8/2014/ जयपुर, दिनांक 30.05.2016

बैठक कार्यवाही विवरण

शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 30.5.2016 (सोमवार) को विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गयी। समीक्षा के दौरान निम्न निर्देश दिये गयेः–

क्र. सं.	विषय	संबंधित अधिकारी
1	थर्ड पार्टी निरीक्षण की रिपोर्ट सभी एजेन्सी एवं निरीक्षणकर्ताओं से प्राप्त कर जिलों से अनुपालना करायें। थर्ड पार्टी निरीक्षण रिपोर्ट जिसमें की निरीक्षणकर्ता द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है उसका टेम्प्लेट पीडी एसएपी–II एवं श्री योजना प्रभारी द्वारा इस सप्ताह टेम्प्लेट अनिवार्य रूप से तैयार कराया जाए। अनुभाग–5 द्वारा पूर्व में ही टेम्प्लेट जारी किये जा चुके है। अतः आगामी बैठक में अंतिम रूप दिया जाए।	,(पीडी, एसएपी–II, श्रीयोजना) एसई आईएवाई
2	मुख्य मंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना की वैब साईट का आडिट कार्य शीघ्र पूर्ण करायें तथा इसका भुगतान मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना में उपलब्ध प्रशासनिक मद राशि 114 करोड रूपये उपलब्ध 114 करोड रूपये में से कराये जाने हेतु गत बैठक में निर्देशित किया गया था, जिसके लिए आवास साफ्ट/पंचायत राज द्वारा मना कर दिया गया है। अतः यह भुगतान कहां से किया जायेगा इस पर पुनर्विचार किया जायेगा। आवास सैल द्वारा मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना के प्रशासनिक मद राशि 114 करोड रूपये का व्यय तथा बचत राशि का हिसाब जिलों से प्राप्त करेंगे।	पीडीएसएपी प्रथम/ द्वितीय
3	**आवास योजना** 1. अन्य चिन्हित वर्ग आवास योजना– • वर्ष 2015–16 की 78 लाभार्थियों की प्रथम किश्त लम्बित है, उनका तुरंत भुगतान कराया जाये। • वर्ष 2015–16 की द्वितीय व तृतीय किश्त कितनी जारी हुई है, प्रगति की समीक्षा। • वर्ष 2016–17 के लिए लक्ष्य निर्धारित कर स्वीकृतियॉ जारी करायी जाये। **2. आवास योजना–** • वर्ष 2011–12 से लेकर वर्ष 2014–15 तक के सभी अपूर्ण आवासों की समीक्षा। • वर्ष 2015–16 में निर्धारित लक्ष्य 84964 में 80981 को पहली किश्त गयी है। शेष को इसी सप्ताह किश्त भेजा जाना सुनिश्चित करें। द्वितीय व तृतीय किश्त की समीक्षा करें। • ग्राम सेवकों को मोबाईल एप संचालन हेतु लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड भारत सरकार से जनरेट कराकर जिलों को उपलब्ध कराये जाए।	एसई आईएवाई

	• प्रशासनिक मद में जिलों द्वारा ग्राम सेवकों को उपलब्ध कराये गये मोबाईल फोन/लैपटोप आदि की क्रय व उनके वास्तविक सत्यापन सुनिश्चित किया जाए और इसे मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की कॉन्फ्रेन्स के एजेण्डा बिन्दु में रखी जाए। • प्रधानमंत्री आवास योजना में जिन परिवारों का नाम सैक 2011 की सूची में नहीं है उनका अलग से नाम इन्द्राज कर सूची बनायी गई है। इन परिवारों को शीघ्र लाभ दिलाने के लिए भारत सरकार को शासन सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मा0 मंत्री, मा0 मुख्यमंत्री महोदया की ओर से 10–10 दिवस के अन्तराल से लिखवाया जाए की अनुपालना में मा0 मुख्यमंत्री महोदया के स्तर से लिखे जाने वाले पत्र का प्रारूप प्रस्तुत किया गया है जो प्रक्रियाधीन है।	
4	एमपी लैड योजना का आवंटन एवं प्रथम किश्त जारी करायी जानी है। आवंटन आईडब्ल्यूएमएस पर दर्ज करवा दिया गया है लेकिन प्रथम किश्त केवल 4 मा0 सांसदों की जारी करायी गयी है शेष की शीघ्र करायी जाये। वर्ष 2014–15 व 2015–16 के प्रगतिरत 446 अप्रारम्भ 151 कार्य है, इनको शीघ्र पूर्ण कराने के लिए कार्यवाही करायी जाए।	पीडी एसएपी प्रथम
5	एमएलए लैड योजना का आवंटन एवं प्रथम किश्त जारी करायी जानी है। आवंटन आईडब्ल्यूएमएस पर दर्ज करवा दिया गया है लेकिन प्रथम किश्त किसी भी मा0 विधायकों की जारी नहीं करायी गयी है जिसे शीघ्र करायी जाये। • वर्ष का आवंटन आईडब्ल्यूएमएस पर इन्द्राज हो एवं प्रथम किश्त जारी करायी जाए। वर्ष 2014–15 व 2015–16 के प्रगतिरत एवं अप्रारम्भ कार्यो की समीक्षा की जाए।	पीडी एसएपी प्रथम
6	गुरू गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना– • वर्ष का आवंटन आईडब्ल्यूएमएस पर इन्द्राज हो एवं जिलों को लक्ष्य आवंटित कि जाए। • वर्ष 2014–15 व 2015–16 के प्रगतिरत एवं अप्रारम्भ कार्यो की समीक्षा की जाए।	परि. निदे. मोएवंमू
7	डांग, मगरा, मेवात– • वर्ष 2016–17 के जिलों का आवंटन व उनकी वार्षिक कार्ययोजना का अनुदान इसी माह कराया जाए। • वर्ष 2014–15 व 2015–16 के प्रगतिरत एवं अप्रारम्भ कार्यो की समीक्षा की जाए।	पीडी एसएपी –II
8	बीएडीपी– • वर्ष 2016–17 का आवंटन आईडब्ल्यूएमएस पर इन्द्राज हो एवं जिलों से प्राप्त प्रस्तावों का अनुमोदन कराया जाए। • वर्ष 2014–15 व 2015–16 के प्रगतिरत एवं अप्रारम्भ कार्यो की समीक्षा की जाए। • योजना में निर्मित होने वाले 4 प्रशिक्षण केन्द्र बनाये जाने थे जिनका शीघ्र निर्माण कराया जाए। इसमें मैशन ट्रेनिंग को शामिल किया जाए।	पीडी एसएपी –II
9	मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना में वर्ष 2016–17 के लिए 50 करोड आवंटन की पत्रावली मुख्य मंत्री कार्यालय को प्रस्तुत की जाए। • 50 हजार की राशि प्रत्येक आदर्श ग्राम पंचायत को उपलब्ध करवाने के लिए वित्त विभाग द्वारा अस्वीकार किये जाने के संबंध में पुनः पत्रावली मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी जाये।	पीडीएसएपी –I

30/5

	● मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना में सर्वे, कार्यशाला, योजना तैयार करने व अन्य प्रशासनिक व्यय को एमएलए लैड योजना में अनुमत कराया जाए।	
10	विधान सभा प्रश्न का निस्तारण 31 मई 2016 तक लम्बित सभी प्रश्नों के जवाब भिजवायें जाए। जिन प्रश्नों का जवाब मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा नहीं भिजवाया जा रहा है उनका स्पस्टीकरण मंगवाया जाए।	सं.शा. सचिव, प्रशा., समस्त योजना प्रभारी
11	विभिन्न योजनाओं की वर्ष 2014–15 व 2015–16 की 35000 कार्यो के विपरीत 8000 सीसी जारी की गयी। इन 8000 में से 5000 दिनांक 01.04.2016 के बाद हुई है। इस संबंध में चलाये जा रहे विशेष अभियान को शीघ्र पूर्ण कराये तथा शतप्रतिशत सभी कार्यो की सीसी जारी कराया जाना एवं 100 से अधिक बंद पडी योजनाओं की राशि संबंधित खातों में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।	एसई आईएवाइ एफए
12	महात्मा गांधी नरेगा की तर्ज पर राज्य प्रवृर्तित योजनाओं में यथा डांग, मगरा, मेवात, गुरू गोलवलकर, एमएलए लैड, स्व–विवेक के योजनावार राज्य स्तरीय बैंक में खाते खोले जावे। इस संबंध में वित्त विभाग, एनआईसी एवं बैंको के साथ किये जाने वाले कार्यो के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाए।	एफए
13	मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की जाए– 1. डांग, मगरा, मेवात से 20 प्रतिशत राशि दिये जाने की समीक्षा के लिए पत्रावली मा0 मंत्री महोदय को भिजवायी जाए जिसमें यह निर्णय लिया जाना है कि वर्ष 2016–17 में एमजेएसए के लिए राशि उपलब्ध करायी जानी है अथवा नहीं। 2. अध्यक्ष, मगरा कार्यालय हेतु आवश्यक स्टाफ एवं श्री योजना के लिए उपलब्ध कराये जाने वाले एक क0लिपिक एवं एक डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के संबंध में प्रशासनिक शाखा से आदेश जारी किया गया, इनकी पालना सुनिश्चित करें व वाहन के बारे में पत्रावली प्रस्तुत करें। 3. शासन सचिव, ग्रा.वि.विभाग कोटा संभाग के प्रभारी है। संभाग के जिलों की अद्यतन प्रगति से प्रभारी श्री योजना द्वारा अवगत कराया जाये।	पीडीएसएपी –II सं.शा.स.प्रशा. श्री योजना
14	सीएसआर के लिए आयुक्त, उद्योग विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी साईट पर सांसद आदर्श ग्राम व मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना के प्रस्तावों को अपलोड कर दिया गया है। प्रगति लायी जाए।	परि. निदे. मोएवंमू
15	आईडब्ल्यूएमएस सोफ्टवेयर में जिओटेगिंग कार्य में गति लायी जाए।	परि. निदे. मोएवंमू
16	गत पीआरसी की बैठक का कार्यवाही विवरण जारी हो गया है उनकी अनुपालना रिपोर्ट तैयार की जाए।	परि. निदे. मोएवंमू
17	डीआरडीए प्रशासन में कम राशि प्राप्त हुई है। 40 करोड की कमी चल रही है इसके लिए भारत सरकार व वित्त विभाग को पत्र लिखवायें जाए।	एफए
18	जैसेन्दर स्टेशन बाडमेर की विजिट 8–9 जून 2016 को की जाए।	(पीडी, एसएपी–I–II, एफए
19	डांग, मगरा, मेवात एवं बीएडीपी योजना का वार्षिक प्लान इसी माह अप्रुव कराया जाए और इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की कांन्फ्रेन्स में एजेण्डा बिन्दु रखा जाए।	(पीडी, एसएपी– II,
20	सीएमआईएस पर दर्ज बजट घोषणा, मुख्यमंत्री निर्देश, सुराज संकल्प के संबंध में सभी अनुभागों को सीधे तौर पर यूजर आईडी, पासवर्ड उपलब्ध कराया जाए। भविष्य में	समस्त योजना प्रभारी

375

	योजना प्रभारी ही अपलोडेशन के लिए जिम्मेदार होगें।	
21	गोचर भूमि विकास बोर्ड के गठन के संबंध में प्रमुख शासन सचिव महो. के स्तर पर निर्णय कराया जाए।	(पीडी, एसएपी–II)
22	बीपीएल 2011 में अपील के माध्यम से अभी तक नाम जोडे जा रहे है इस संबंध में Secc-2011 की पूरी स्थिति स्पष्ट करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय को बीपीएल के संबधं में पूर्ण रूप से पुनर्विचार करने हेतु पत्रावली प्रस्तुत की जाए।	परि. निदे. मोएवंमू
23	डांग, मगरा, मेवात एवं बीएडीपी योजना में शामिल ग्रामों/ग्राम पंचायतों की सूची विभागीय वैबसाईट पर प्रदर्शित की जाए।	(पीडी, एसएपी–II)

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गयी।

30/10

परि0निदे0 एवं पदेन उप सचिव
(मो. एवं मू.)

<u>प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–</u>

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि.एवं पं.राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रा.वि.विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव(प्रशासन) ग्रा.वि.विभाग।
4. वित्तीय सलाहकार, ग्रा.वि.विभाग
5. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव, एसएपी–I/ मोएवंमू ग्रा.वि. विभाग।
6. परियोजना निदेशक(एसएपी–II) ग्रा.वि.विभाग।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोफ्यूल।
8. अधीक्षण अभियन्ता, आईएवाई/श्रीयोजना
9. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त बैठक के निर्देश वैबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

30/5

परि0निदे0 एवं पदेन उप सचिव (मोएवंमू)